फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री लक्ष्मणसिंह　　विपक्षी : श्री श्याम

किस्म मुकदमा – 88, 188 रा0का0अ0　　पत्रावली संख्या : 146/23

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	

दिनांक :– 06.10.2023

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता वादी द्वारा वादी श्री लक्ष्मणसिंह की ओर से विशेष अधिकार पत्र पेश किया। शामिल फाईल किया जाकर रेकार्ड पर लिया जाता हैं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 3 जा.दी. का पेश किया, शामिल फाईल किया जाकर रेकार्ड पर लिया जाता हैं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाने का निवेदन किया। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामें का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रकरण में उभय पक्षकारान द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 3 जा.दी. राजीनामा पेश कर राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किया जाने का निवेदन किया। उक्त प्रकरण के पुराने नम्बर 148/18 वाद लक्ष्मणसिंह बनाम श्याम दिनांक 15.07.2019 को स्वीकार किया गया था जो प्रकरण संख्या 68/19 विविध लक्ष्मणसिंह बनाम श्याम निर्णय दिनांक 26.09.2023 की पालना में पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर डिक्री दिनांक 15.07.2019 को अपास्त की जा चुकी हैं। उभय पक्षकारान उपस्थित होकर प्रकरण आपसी राजीनामा हो जाने से आपसी राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किया जाने का निवेदन किया। उभय पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश कर वादी द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 27.08.1973 कुटरचित होने से शून्य प्रभावी बताकर प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में अरविन्दसिंह द्वारा दिनांक 23.05.2016 को जो विक्रय पत्र निष्पादित कर दिनांक 10.06.2016 को पंजीकृत करवाया गया है वादी उससे सहमत होने एवं अरविन्द सिंह को दिनांक 28.10.2010 को वादग्रस्त भूमि विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया था किन्तु वादी को अपने घर में मूल विक्रय पत्र दिनांक 27.08.1973 का दस्तावेज मिल जाने के कारण पुरी विषय वस्तु का पता लगाये बिना ही वादी द्वारा यह वाद प्रस्तुत करना बताकर अब उक्त वादग्रस्त आराजीयात में किसी प्रकार की दाद नहीं चाहने का कथन कर खारिज किया जाने का निवेदन किया। अतः उपरोक्त विवेचन एवं राजीनामा के आधार पर वादी द्वारा स्वयं उक्त वादग्रस्त आराजीयात बाबत् किसी प्रकार की कोई दाद नहीं चाहने का पेश करने से अब उक्त प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। अतः उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामें के आधार पर उक्त पत्रावली इसी स्तर पर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः वादी का वाद आपसी राजीनामा अनुसार खारिज योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आपसी राजीनामा स्वीकार किया जाकर वाद खारिज किया जाता है। राजीनामा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.10.31 17:29:39 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीकान्त व्यास, R.A.S

उनवान

1. श्री लक्ष्मणसिंह पिता स्व. रामसिंह राव निवासी आसोलियों की मादडी तह. मावली।

.....वादी

बनाम

1. श्री श्याम पिता रामजीवन दुबे निवासी पाठो की मगरी, सेवाश्रम उदयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 146/23 (वाद) GCMS No. – 2023/434

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आपसी राजीनामा स्वीकार किया जाकर वाद खारिज किया जाता है। राजीनामा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 06.10.2023 को जारी की गई।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.10.31 17:29:39 IST
Reason: SelfAttested